रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 1992/कार्तिक 21, 1914
No. 715] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 1992 KARTIKA 21, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1992

का.आ. 829(अ)—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषध एवं मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उप धारा के अधीन आदेश फा स 801/17/92 स्वा. ओ म प्र अथ्या नि तारीख 30-4-92 यह निदेश देते हुए जारी किया

गया था कि श्री गुल अनवर खान उर्फ गुल लाला सुपुत्र अकबर खान को केन्द्रीय जेल, उदयपुर (राजस्थान) की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को खरीदने, लाने-ले जाने छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में लिप्त रहने तथा षड्यंत्र में रोका जा सके,

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके,

3. अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त, जयपुर के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 801/17/92-स्वा. औ. म. प. अ. व्या. नि.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 12th November, 1992

S.O. 829(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued Order F. No. 801|17|92-PITNDPS dated 30-4-92 under the said sub-section directing that Shri Gul Anwar Khan Alias Gul Lala S|o Akabar Khan be detained and kept in custody in the Central Jail, Udaipur (Rajasthan) with a view to preventing him from engaging in conspiring ad abetting in the transportation of Narcotic Drugs.

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Jaipur within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801|17|92-PITNDPS]

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1992

का आ 830(अ)—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषध एवं मन : प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उप धारा के अधीन आदेश फा सं 801/18/92 स्वा ओ स प अध्या नि तारीख 30-4-92 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री अजीज भाई उर्फ अजीज लाला सुपुत्र श्री अब्दुल रहमान को केन्द्रीय जेल, उदयपुर (राजस्थान) की अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधियों को खरीदने, लाने-भेजने, छिपाने तथा भारत के बाहर निर्यात के लिए उत्प्रेरित करने में लिप्त रहने तथा षड्यंत्र में रोका जा सके,

2 केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके,

3 अब अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस उपायुक्त, उदयपुर के समक्ष हाजिर हो।

[फा सं 801/18/92-स्वा.ओ म.प.अ.व्या.नि.]

प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th November, 1992

S.O. 830(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued Order F. No. 801/18/92-PITNDPS dated 30-4-1992 under the said sub-section directing that Shri Aziz Bhai Alias Aziz Lala S/o Shri Abdul Rehaman be detained and kept in custody in the Central Jail, Udaipur (Rajasthan) with a view to preventing him from engaging in conspiring and abetting in the transportation of Narcotic Drugs

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed :

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Deputy Commissioner of Police, Jaipur within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 801/18/92-PITNDPS]
PRAKASH CHANDRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992